

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में विकल्प के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मुन्नी जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	जनहित

श्रीमती मुन्नी जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती जोशी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

४१
(क्र०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/ १५५। /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/२०२४-२५/दिनांक २६-०६ - २०२५
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती मुन्नी जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती जोशी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से कि श्रीमती जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. कार्यालय आदेश परिज्ञाका / गार्ड पत्रावली।

३२६।६।२५
(डा० अभ्य सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—198739/XXX(2)/E-33080 / कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में विकल्प के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अस्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रघुनन्दन सिंह निगलिया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	स०नि०म०परी०प्रयो० रुद्रपुर उधमसिंहनगर	मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़	जनहित

श्री रघुनन्दन सिंह निगलिया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑफिट नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री निगलियां का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

३१/
(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक—क०नि०/१५४२/स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/२०२४-२५/दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री रघुनन्दन सिंह निगलिया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा स०नि०म०परी०प्रयो० रुद्रपुर उधमसिंहनगर।
2. स०नि०म०परी०प्रयो० रुद्रपुर उधमसिंहनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री निगलियां को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ को इस आशय से कि श्री निगलियां की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंह नगर।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—198739/XXX(2)/E-33080 / कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—2 / दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यरथल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती अमिता बौठियाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर	मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी	स्वयं के अनुरोध पर

श्रीमती अमिता बौठियाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवरिट नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती बौठियाल का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

३१/
(क्र०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक—क०नि०/१५४३ / स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/2024-25/दिनांक २६-०६-२४

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती अमिता बौठियाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती बौठियाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी को इस आशय के साथ कि श्रीमती बौठियाल की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अम्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मधु बन्दूनी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर	स्वयं के अनुरोध पर

श्रीमती मधु बन्दूनी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आँवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती बन्दूनी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

३१—
(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-क०नि०/ १५४५/स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/2024-25/दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती मधुबन्दूनी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा— मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती बन्दूनी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर को इस आशय के साथ कि श्रीमती बन्दूनी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमौऊ मण्डल हल्द्वानी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

(डा० अमय सक्सेना)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में विकल्प के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं0	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कपूर चन्द्र मिश्रा, प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि सरक्षण अधिकारी, बागेश्वर	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	जनहित

श्री कपूर चन्द्र मिश्रा, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवरित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री मिश्रा का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

३६।—
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-क०नि०/ १५५८ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/२०२४-२५/दिनांक २६-०६-२०२४
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री कपूर चन्द्र मिश्रा, प्रधान सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि सरक्षण अधिकारी, बागेश्वर।
2. कृषि एवं भूमि सरक्षण अधिकारी, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री मिश्रा को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. स्थापना पटल सहायक/बिल सहायक कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी।/सू० कृषि निदेशक, /मू० कृषि निदेशक
6. सयुंक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

२६/६/२४
(डा० अभय सक्सना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में विकल्प के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रविन्द्र सिंह, प्रधान सहायक	मु0क०30, टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट	जनहित

श्री रविन्द्र सिंह, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

२५।
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, दहरादून

पत्रांक—क०नि०/।५५६/स्था०अनु०—१/लि०सं०/स्थाना०/2024-25/दिनांक 26-06-2024

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री रविन्द्र सिंह, प्रधान सहायक द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर)।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर) को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रविन्द्र सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट को इस आशय से कि श्री सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

26/6/24

(डा० अभय सक्सेना)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

दहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—198739/XXX(2)/E-33080 / कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—2 / दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के समुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कैलाश चन्द्र जोशी, प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर	जनहित

श्री कैलाश चन्द्र जोशी, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवर्टित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

४१
(कै०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक—क०नि०/१५४७/स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/२०२४-२५/दिनांक २६ -०६ - २०२४

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री कैलाश चन्द्र जोशी, प्रधान सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल ।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री जोशी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय से कि श्री जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर ।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी ।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी ।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली ।


२६/६/२४

(डा० अभ्युक्ति सक्सेना)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नारायण सिंह, प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल	स्वयं के अनुरोध पर

श्री नारायण सिंह, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑफिटिन नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

३८।
(क्र०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, दहरादून

पत्रांक-क०नि०/ १८५४ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/2024-25/दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री नारायण सिंह, प्रधान सहायक द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल को इस आशय से कि श्री सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली / नैनीताल।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

२६/६/२४

(जा० अभ्युक्ति सम्बन्धेन)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

दहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज पोखरियाल, प्रधान सहायक	संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्त्यमुनि	स्वयं के अनुरोध पर

श्री मनोज पोखरियाल, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑफिट नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री पोखरियाल का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

८४/
(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-क०नि०/ १८५९ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/2024-25/ दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री मनोज पोखरियाल, प्रधान सहायक द्वारा— संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री पोखरियाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्त्यमुनि को इस आशय से कि श्री पोखरियाल की योगदान सूचना से मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

२६/६/२५

(डा० अभय सक्सेना)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सरकारी अनुभाग—2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मनदीप कौर, प्रधान सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर	स्वयं के अनुरोध पर

श्रीमती मनदीप कौर, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवरिट नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती कौर का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

३१—
(क्र०सी०पारक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक—क०नि०/ १५५० /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/२०२४-२५/दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती मनदीप कौर, प्रधान सहायक द्वारा— मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती कौर को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर को इस आशय से कि श्रीमती कौर की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंहनगर।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊ मण्डल हल्द्वानी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

२६/६/२५

(डा० अभ्य सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के समुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री धीरज जोशी, प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी	स्वयं के अनुरोध पर

श्री धीरज जोशी, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटिट नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

४१
(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-क०नि०/ १५५१ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/२०२४-२५/दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री धीरज जोशी, प्रधान सहायक द्वारा- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री जोशी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी को इस आशय से कि श्री जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंहनगर/ नैनीताल।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/ मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊं मण्डल हल्द्वानी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/ गार्ड पत्रावली।

२६/६/२५
(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अरुण कुमार यादव प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग	स्वयं के अनुरोध पर

श्री अरुण कुमार यादव, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री यादव का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

४१/
(क्र०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-क्र०नि०/ १५५३ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थान०/२०२४-२५/दिनांक २६-०६-२०२५

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री अरुण कुमार यादव, प्रधान सहायक द्वारा- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री यादव को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग को निर्देश के साथ कि श्री यादव की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल नरेन्द्रनगर/ चमोली।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/ गार्ड पत्रावली।

२६/६/२५
(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में विकल्प के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अस्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री ललित जोशी, वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट	जनहित

श्री ललित जोशी, वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवरिट नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी, वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

३१।—
(कृषि निदेशक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/ १५५५/स्था०अनु०-१/लि०सं०/ स्थाना०/2024-25/दिनांक २६-०६ -२०२४

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- श्री ललित जोशी, वरिष्ठ सहायक द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल।
- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल को इस आशय से कि वे अधिनियमानुसार श्री जोशी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट को इस आशय से कि श्री जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
- कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(ज्ञा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के समुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सतेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली	स्वयं के अनुरोध पर

श्री सतेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवरिट नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

श्री
(क्र०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-क्र०नि०/ १५५६ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/2024-25/दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री सतेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक द्वारा- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली को इस आशय से कि श्री सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी/पौड़ी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

26/6/24
(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के समुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं0	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रेनू भट्ट, वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत	स्वयं के अनुरोध पर

श्रीमती रेनू भट्ट वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवरिट नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती भट्ट का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

४८/✓
(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-क०नि०/ १५५७ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/2024-25/दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती रेनू भट्ट वरिष्ठ सहायक द्वारा— मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत को इस आशय से कि श्रीमती भट्ट की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंह नगर।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

२६/६/२४
(जा० अभ्य सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 / कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2 / दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के क्रम में श्री चन्दन सिंह भाकुनी, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण एवं श्री राम सिंह कार्की, वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री चन्दन सिंह भाकुनी, वरिष्ठ सहायक,	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण	मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा	पारस्परिक
2	श्री राम सिंह कार्की, वरिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण	

श्री चन्दन सिंह भाकुनी एवं श्री राम सिंह कार्की को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवरित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री भाकुनी एवं श्री कार्की का पारस्परिक स्थानान्तरण किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाइ जायेगी।

८०/१
(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-क०नि०/ १५५८ / स्था०अनु०-१/ लि०सं०/ स्थाना०/ २०२४-२५/ दिनांक २६-०६ - २०२५

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री चन्दन सिंह भाकुनी, वरिष्ठ सहायक, द्वारा- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण।
2. श्री राम सिंह कार्की, वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री कार्की को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री भाकुनी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण को इस आशय से कि श्री कार्की व श्री भाकुनी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमौऊ मण्डल, हल्द्वानी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

८०/६/२५
(डा० अभ्य सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 / कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं0	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कृष्ण चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	स्वयं के अनुरोध पर

श्री कृष्ण चन्द्र, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवरिट नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री चन्द्र का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

३०/-
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-क्र०नि०/ १५५९ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/2024-25/दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री कृष्ण चन्द्र, कनिष्ठ सहायक द्वारा- मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री चन्द्र को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से कि श्री सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(जा० अभ्य सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कुलवीर सिंह नेगी, कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट	मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी	स्वयं के अनुरोध पर

श्री कुलवीर सिंह नेगी, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑविटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री नेगी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

३१।—
(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-क०नि०/ १५६० /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/2024-25/दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री कुलवीर सिंह नेगी, कनिष्ठ सहायक द्वारा— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री नेगी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से कि श्री नेगी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 / कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के समुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गौरव कुमार, कनिष्ठ सहायक(मृ0आ0अधि0)	कृषि निदेशालय	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	स्वयं के अनुरोध पर

श्री गौरव कुमार, कनिष्ठ सहायक(मृ0आ0अधि0) को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटिट नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री गौरव कुमार का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

३६।
(क्र०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक—कृ०नि०/ १५६। /स्था०अनु०-१/लि०सं०/ स्थाना०/2024-25/दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री गौरव कुमार, कनिष्ठ सहायक (मृ0आ0अधि0)कार्या०— कृषि निदेशालय।
2. स्थापना पटल सहायक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी को इस आशय से कि श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
7. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल, पौडी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

(डा० अमय सक्सेना)

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

३६।६/२५

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 /कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के समुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रितु काम्बोज, कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल(नरेन्द्रनगर)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर	स्वयं के अनुरोध पर

श्रीमती रितु काम्बोज, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवरिट नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती काम्बोज का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

४८
(क्र०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-क्र०नि०/ १५६२ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/२०२४-२५/दिनांक २६-०६ - २०२४

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती रितु काम्बोज, कनिष्ठ सहायक द्वारा- मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल(नरेन्द्रनगर)।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर) को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती काम्बोज को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर को इस आशय से कि श्रीमती काम्बोज की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

(डा० अभ्य सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 / कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2 / दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री शैलेश यादव, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत एवं श्री भुवन चन्द्र, क०स०, कनिष्ठ सहायक कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री शैलेश यादव, क०स०	कृ०भ०सं०अ०, रानीखेत	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा	पारस्परिक
2	श्री भुवन चन्द्र, क०स०	कृ०भ०सं०अ०, अल्मोड़ा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत	

श्री शैलेश यादव एवं श्री भुवन चन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑफिटिन नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री यादव एवं श्री चन्द्र का पारस्परिक स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

—
(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/ १५६३ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थाना०/२०२४-२५/दिनांक २६-०६ -२०२४
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री शैलेश यादव, कनिष्ठ सहायक, द्वारा- कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत।
2. श्री भुवन चन्द्र, क०स०, कनिष्ठ सहायक द्वारा- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत/अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री यादव व श्री चन्द्र को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत/अल्मोड़ा को इस आशय से कि श्री यादव व श्री चन्द्र की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

26/6/24
(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 / कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री ईश्वर सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी एवं श्री संजय पाण्डे, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री ईश्वर सिंह, क्र०सं०	कृ०भ०सं०अ०, हल्द्वानी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर	पारस्परिक
2	श्री संजय पाण्डे, क्र०सं०	कृ०भ०सं०अ०, रुद्रपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी	

श्री ईश्वर सिंह व श्री संजय पाण्डे को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑफिट नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह एवं श्री पाण्डे का पारस्परिक स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


 (क्र०सं०पाठक)
 कृषि निदेशक,
 उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/ १५६५ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/स्थान०/२०२४-२५/दिनांक २६-०६-२०२४

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री ईश्वर सिंह, कनिष्ठ सहायक, द्वारा- कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी।
2. श्री संजय पाण्डे, क्र०सं०, कनिष्ठ सहायक द्वारा- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री ईश्वर सिंह व श्री संजय पाण्डे को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी/रुद्रपुर को इस आशय से कि श्री सिंह व श्री पाण्डे की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


 (डा० अम्रत सक्सेना)
 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
 देहरादून